



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223505
CG-DL-E-04122020-223505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3835]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942

No. 3835]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4373(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की एन्तोर-तिरुवल्लूर-बंगलूरु-पुदुच्चेरी-नागापट्टिनम-मदुरई-तूतीकोरीन पाइपलाइन परियोजना के लिये उक्त अधिनियम के तहत सुश्री पी. भवानी, विशेष उप समाहर्ता, आंध्र प्रदेश सरकार को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/77/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2020

S.O. 4373(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Ms. P. Bhavani, Special Deputy Collector, Government of Andhra Pradesh to perform the functions of Competent Authority under the said Act for Ennore – Thiruvallur – Bengaluru – Puducherry – Nagapattinam – Madurai – Tuticorin Pipeline Project of M/s. Indian Oil Corporation Limited in the State of Andhra Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/77/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.